Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

वर्ष- 28 ◘ अंक- 188 ◘ रायपुर, शुक्रवार 1 अगस्त 2025 ◘ पृष्ठ-8 ◘ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

बस्तर ओलंपिक को मिला 'खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स' का दर्जा, रायपुर-बिलासपुर में खुलेंगे मेडिकल-नर्सिंग कॉलेज

मुख्यमंत्री साय की केंद्रीय मंत्री मांडविया से मुलाकात

रायपुर, 1 अगस्त (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ को खेल और स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयाँ देने की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण पहल हुई। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्य एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया से नई दिल्ली में सौजन्य मुलाकात की। इस दौरान बस्तर ओलंपिक को इस वर्ष से खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के रूप में आयोजित करने की सहमति प्रदान की गई। यह निर्णय न केवल जनजातीय युवाओं की प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल संस्कृति को भी वैश्विक मंच पर प्रतिष्ठा दिलाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने रायपुर और बिलासपुर में 220-बेड के मेडिकल एवं नर्सिंग कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा, जिससे राज्य को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षा के साथ-साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। इस पर केंद्रीय मंत्री मांडविया ने कहा कि केंद्र सरकार शीघ्र ही इस प्रस्ताव पर सकारात्मक निर्णय लेकर आवश्यक स्वीकृति की प्रक्रिया प्रारंभ करेगी। साथ ही, मुख्यमंत्री ने लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र छत्तीसगढ़ में स्थापित करने तथा राज्य में खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए नए स्टेडियम एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की माँग भी रखी। केंद्रीय मंत्री ने इन विषयों पर भी शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का आश्वासन दिया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध सिंह एवं मुख्यमंत्री के सचिव राहुल भगत भी उपस्थित थे।

खालिद जमील बने भारतीय फुटबॉल टीम के नए कोच

नई दिल्ली, 1 अगस्त (न्यूज चैनल)। अखिल भारतीय फुटबॉल संघ (एआईएफएफ) ने खालिद जमील को भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया है। शुक्रवार को एआईएफएफ ने इसका एलान किया। खालिद ने 2017 में आइजॉल फुटबॉल क्लब को आई-लीग खिताब दिलाया था। 13 वर्षों में पहली बार किसी भारतीय को भारतीय फुटबॉल टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है।

क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी को दिल्ली से बुलावा

कमीशन के आरोप में सीएम से हुई थी शिकायत

रायपुर, 1 अगस्त (हाईवे चैनल)। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेन्द्र सवन्नी आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं. पिछले दिनों उनपर तीन प्रतिशत कमीशन लेने के आरोप लगे थे. वेंडरों ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से की थी. सूत्रों के मुताबिक भूपेंद्र सवन्नी की शिकायत दिल्ली तक पहुंची है।

बता दें कि वेंडरों ने सवन्नी के खिलाफ अपने निजी सहायक के जरिए तीन प्रतिशत कमीशन के लिए दबाव बनाने और धमकी देने की शिकायत की है. क्रेडा वेंडरों ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शिकायत करते हुए बताया कि विभाग की ओर से समय-समय पर जारी किए जाने वाले टेंडर में हम भाग लेते हैं. हमें विभाग द्वारा कार्य आबंटित होता है, जिसके बाद हम फील्ड में जाकर कार्य करते हैं, और सोलर सिस्टम लगाते हैं. शिकायत में बताया कि क्रेडा के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी विगत कुछ दिनों से परेशान कर रहे हैं. अपने निज सहायक वैभव दुबे के माध्यम से अपने लिए जितने का कार्य पूर्व में उनके पदभार ग्रहण के पहले आबंटित हुआ है, और जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं उसका 3 फीसदी की मांग कर रहे हैं. रकम नहीं देने पर किसी भी कारण का उल्लेख कर या कार्यों की जांच कराकर नोटिस दिलवाने और ब्लैक लिस्टेड करने की धमकी दी जा रही है. इस तरह से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे हम सब बहुत परेशान हैं. छत्तीसगढ़ सोलर बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखकर उस शिकायती पत्र का खंडन किया, जिसमें क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी पर तीन फीसदी कमीशन लेने का आरोप लगाया गया था. एसोसिएशन ने शिकायत पत्र को फर्जी बताते हुए बेबुनियाद करार दिया. पत्र में बताया गया कि जनदर्शन में दी गई शिकायत गुमनाम, बिना किसी प्रमाण और मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है. न तो स्पष्ट नाम है, न ही पता या संपर्क जानकारी. यह कृत्य किसी शरारती तत्व ने सुनियोजित तरीके से किया है. क्रेडा से जुड़े सभी ठेकेदारों का यह एकमात्र पंजीकृत संगठन है।

ब्रेकिंग न्यूज

करंट से हाथी की मौत

कोरबा, 1 अगस्त (हाईवे चैनल)। जिले के कोरबा वन मंडल अंतर्गत कुदमुरा रेंज के बैगामार जंगल में एक व्यस्क हाथी के मौत की खबर आ रही है। विभागीय अधिकारी मौके पर है। बताया जा रहा है कि हाथी की मौत रात में ही हो गई थी किंतु इसकी जानकारी आज सुबह आम हुई। स्थानीय सूत्र के मुताबिक हाथी की मौत करंट प्रवाहित झटका तार से हुई है, जो अक्सर या तो छोटे- मोटे जानवरों के शिकार के लिए या फिर अपने फसलों की रक्षा के लिए चंद ग्रामीण के द्वारा बिछाया जाता है। चर्चा यह भी है, कि हाथी की मौत करंट से हुई है, लेकिन इसे झटका से जोड़कर प्रचारित किया जा रहा है। इस बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया किंतु उनसे बात नहीं हो पाने के कारण विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। मौके पर वन कर्मियों के पहुंचने की खबर है व ग्रामीण भी एकत्र हैं।

नक्सल नेटवर्क के अर्बन मॉड्यूल पर एनआईए ने युवक को किया हरियाणा से गिरफ्तार

जगदलपुर, 1 अगस्त (हाईवे चैनल)। बस्तर के दरभा क्षेत्र का रहने वाला युवक प्रियांशु कश्यप नक्सलियों के अर्बन नेटवर्क का हिस्सा था. एनआईए ने उसे हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किया है. प्रियांशु दिल्ली में पढ़ाई कर रहा था, नक्सलियों की नॉर्थ रीजनल ब्यूरो को दोबारा सक्रिय करने की कोशिश में जुटा था. लंबे समय से एनआईए की रडार पर चल रहे प्रियांशु के पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, टैबलेट, मेमोरी कार्ड और माओवादी दस्तावेज जब्त किए गए हैं. फिलहाल जांच एजेंसी उससे गहन पूछताछ कर रही है. यह कारवाई नक्सलियों के शहरी नेटवर्क की बड़ी कमजोरी उजागर करती है. इस मामले में एनआईए ने हरियाणा और पंजाब के स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी इंचार्ज अजय सिंगल उर्फ अमन और सीपीआई (माओवादी) सदस्य विशाल सिंह को गिरफ्तार किया था, जिससे जांच अभी भी जारी है.

मणिपुर में चार उग्रवादी गिरफ्तार

नई दिल्ली, 1 अगस्त (न्यूज चैनल)। मणिपुर के विभिन्न हिस्सों से सुरक्षा बलों ने चार उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में प्रतिबंधित संगठन कांगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नोंगड्रेनखोम्बा) का स्वयंभू सेना प्रमुख मोइरंगथेम बिरमानी मेइती भी शामिल है। उन्होंने बताया कि उसे बृहस्पतिवार को बिष्णुपुर जिले के फुबाला पट्टन से गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि बुधवार को थौबल जिले के सलुंगफाम बाजार क्षेत्र से कांगलेई यावोल कन्ना लुप (केवाईकेएल) के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान केइशम विल्सन सिंह (18) और थोकचोम सनाथोई मेइती (22) के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि इन पर छोटे व्यवसायों से वसूली करने का आरोप है।

9 सितंबर को होगा उपराष्ट्रपति का चुनाव

नई दिल्ली, 1 अगस्त (न्यूज चैनल)। जगदीप धनखड़ के पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद, चुनाव आयोग ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। चुनाव आयोग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त, गुरुवार है, जबकि उम्मीदवार अधिकतम 25 अगस्त तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। 22 जुलाई को निर्वतमान अध्यक्ष जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद यह चुनाव आवश्यक हो गया था।

21 अगस्त तक नामांकन

उपराष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार है- चुनाव आयोग की अधिसूचना जारी होने की तिथि- 7 अगस्त, 2025 (गुरुवार), नामांकन की अंतिम तिथि- 21 अगस्त, 2025 (गुरुवार), नामांकन की जाँच की तिथि- 22 अगस्त, 2025 (शुक्रवार), नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि- 25 अगस्त, 2025 (सोमवार), मतदान की तिथि (यदि आवश्यक हो)- 9 सितंबर, 2025 (मंगलवार) है।

यह घोषणा जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई को उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद हुई है, जिससे उनके उत्तराधिकारी के लिए प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। 74 वर्षीय धनखड़ ने अगस्त 2022 में पदभार ग्रहण किया था और उनका कार्यकाल 2027 तक था। धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद राज्यसभा में सरकार के लिए एक दिन का चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव का नोटिस उन्हें सौंपा गया और उन्होंने सदन में इसका उल्लेख किया।

प्रधानमंत्री मोदी से मिले सीएम साय, एक नवंबर को अमृत रजत महोत्सव में आने का दिया न्यौता

नई दिल्ली, 1 अगस्त (न्यूज चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सौजन्य भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने प्रधानमंत्री मोदी को 1 नवंबर 2025 को रायपुर में आयोजित अमृत रजत महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की भावी योजनाओं, विकास की प्राथमिकताओं और जनकल्याण से जुड़े प्रमुख विषयों की जानकारी भी दी।

छत्तीसगढ़ में राज्य गठन की 25वीं वर्षगांठ अमृत रजत जयंती वर्ष के रूप में मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक होगा और प्रधानमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 'अंजोर विज़न @2047' दस्तावेज़ तैयार किया है, जो विकसित भारत के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ के समावेशी और सतत विकास को रूपरेखा प्रस्तुत करता है। यह विज़न दस्तावेज शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, नवाचार और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में सुधार और नवाचार-आधारित पहलों पर केंद्रित है।

चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल... एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग पर फिर बरसे राहुल गांधी, कहा- हम आपको नहीं छोड़ेंगे

नई दिल्ली, 1 अगस्त (न्यूज चैनल)। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बिहार में एसआईआर अभ्यास को लेकर फिर से चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास स्पष्ट सबूत हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी में शामिल है। उन्होंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव आयोग में जो भी इस अभ्यास में शामिल है, ऊपर से नीचे तक, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। आप भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं और यह देशद्रोह से कम नहीं है। आप जहां कहीं भी हों, भले ही आप सेवानिवृत्त हों, हम आपको ढूंढ लेंगे।

इससे पहले राहुल ने कहा था कि हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। महाराष्ट्र में कैसे मैच फिक्सिंग हुई, हमने सबको दिखाया। कर्नाटक की एक लोकसभा सीट की जांच की - वहां बड़े पैमाने पर वोट चोरी मिली, जल्द जनता के सामने लाएंगे। उन्होंने कहा था कि बिहार में ख़ुफ़िया के नाम पर एसआई, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक भाइयों-बहनों के वोट चुराए जा रहे हैं। हम चुप नहीं बैठेंगे। इंडियागठबंधन जन अधिकार की लड़ाई संसद से सड़क तक लड़ेगा। शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के साथ शुरू हुई क्योंकि विपक्ष ने बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद स्थगित कर दी। सदन स्थगित करने से पहले, लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आप नारेबाजी करके जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। जनता ने आपको सदन में अपने मुद्दे रखने का अवसर दिया है। उन्होंने आगे कहा, यह गलत व्यवहार है। आपको संसदीय नियमों का पालन करना चाहिए। अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, तो मुद्दे उठाने होंगे। कांग्रेस, डीएमके, सपा, टीएमसी, एनसीपी, शिवसेना (यूबीटी), आरजेडी, आरएसपी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग की। लोकसभा अब आज दोपहर 2 बजे फिर से शुरू होगी। इससे पहले, इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने संसद में मकार द्वार के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मतदाता सूचियों के एसआईआर पर दोनों सदनों में चर्चा की मांग की। गुरुवार को, इंडिया ब्लॉक के दलों ने अपनी बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वे संसद के अंदर और बाहर चल रहे एसआईआर के खिलाफ अपने विरोध को तेज करेंगे।

ईडी ने अमेरिकी नागरिकों को ठग रहे फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ छापे मारे

नई दिल्ली, 1 अगस्त (न्यूज चैनल)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उस ''फर्जी'' कॉल सेंटर के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत दिल्ली में छापे मारे, जिस पर ''नकली'' सॉफ्टवेयर की बिक्री का झांसा देकर अमेरिकी नागरिकों से धोखाधड़ी करने का आरोप है।

आधिकारिक सूत्रों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार रात करीब साढ़े 10 बजे खानपुर में तीन परिसरों पर छापे मारे गए और तलाशी अभी जारी है। यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुसार की जा रही है। सूत्रों ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि कुछ लोग एक कॉल सेंटर संचालित कर रहे थे, जो 'माइक्रोसॉफ्ट विंडोज' जैसे असली सॉफ्टवेयर के नाम पर ''नकली'' सॉफ्टवेयर बेचकर अमेरिका जैसे देशों में नागरिकों को ठग रहे थे। जांच एजेंसी को संदेह है कि पिछले कुछ वर्षों (2016-17 से 2024-25) के दौरान विदेशी धन प्रेषण के रूप में 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई है।

तलाक के बाद पति की संपत्ति पर पत्नी का कोई हक नहीं

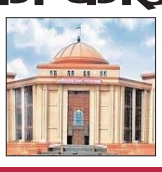

हाईकोर्ट का अहम फैसला

रायपुर, 1 अगस्त (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि तलाक के बाद पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई वैधानिक अधिकार नहीं रहता। कोर्ट ने रायगढ़ सिविल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए एक महिला की अपील खारिज कर दी, जिसमें उसने तलाक के बावजूद पति की संपत्ति पर अधिकार जताया था। हाईकोर्ट ने कहा कि तलाक की डिक्री के बाद पत्नी का वैवाहिक दर्जा समाप्त हो जाता है, जिसके साथ ही संपत्ति पर उत्तराधिकार या स्वामित्व का कोई हक नहीं बचता।

रायगढ़ के एक युवक, जो जिंदल स्टील में कार्यरत था, ने 11 मई 2007 को जिंदल स्टील प्लांट की एक महिला कर्मचारी से प्रेम विवाह किया था। कुछ साल बाद पत्नी के चरित्र को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया और 2010 से वे अलग-अलग रहने लगे। पति ने 2013 में रायगढ़ फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन किया, जिसे कोर्ट ने मार्च 2014 में मंजूर कर लिया। 31 मार्च 2014 से दोनों का वैवाहिक संबंध कानूनी तौर पर समाप्त हो गया। पति ने रायगढ़ में एक मकान खरीदा था, जिसे किराए पर दिया गया था। तलाक के बाद भी पूर्व पत्नी ने 8-10 लोगों के साथ मिलकर उस मकान पर जबरन कब्जा कर लिया और वहां रहने लगी। पति की शिकायत पर पुलिस ने महिला और अन्य आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 452 (घर में जबरन प्रवेश) और 448/34 के तहत मामला दर्ज किया।

महिला ने पति की संपत्ति पर अधिकार जताते हुए रायगढ़ सिविल कोर्ट में सिविल सूट दायर किया। सिविल कोर्ट ने तलाक के आदेश का हवाला देते हुए वाद खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि तलाक के बाद पत्नी का पति की संपत्ति पर कोई वैध अधिकार नहीं बनता। सिविल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए महिला ने बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील दायर की, जिसमें दावा किया कि पति उसे संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2014 को तलाक की डिक्री लागू होने के बाद दोनों के वैवाहिक संबंध खत्म हो चुके हैं। कोर्ट ने कहा, तलाक के बाद पत्नी का दर्जा समाप्त हो जाता है, इसलिए वह पति की संपत्ति पर न तो उत्तराधिकार का दावा कर सकती है और न ही स्वामित्व का। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी।

हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर लगाई रोक, 5 अगस्त को सुनवाई

बिलासपुर, 1 अगस्त (हाईवे चैनल)। हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के चुनाव पर रोक लगा दी है। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने सहायक रजिस्ट्रार द्वारा 14 जुलाई 2025 को दिए गए आदेश के प्रभाव और क्रियान्वन पर रोक लगा दी है। अब 5 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई होगी।

छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ ने 7 जनवरी 2025 को संघ का चुनाव कराने और बायलॉज में संशोधन करने का प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद 30 अप्रैल 2025 को चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया। कार्यक्रम के अनुसार तीन माह के भीतर चार स्तरों पर चुनाव होने थे। इस बीच किसी ने रजिस्ट्रार से शिकायत की। रजिस्ट्रार से इस पर संज्ञान लेते हुए कमेटी गठित की और 35 दिनों के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए। यह आदेश सहायक रजिस्ट्रार ने पारित किया था। इस आदेश को संघ ने अधिवक्ता विवेक वर्मा के जरिए हाईकोर्ट में चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि सहायक रजिस्ट्रार द्वारा समिति गठित करने का आदेश न केवल अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं सोसाइटीज द्वारा सहायक रजिस्ट्रार को इस संबंध में जांच या समिति गठन के लिए कोई अधिकृत निर्देश नहीं दिया गया है। मामले में कोर्ट ने नोटिस जारी करने के साथ ही 14 जुलाई 2025 के आदेश के प्रभाव और क्रियान्वयन पर फिलहाल रोक लगा दी है।